

दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत आने वाले लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत शामिल नहीं अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता और लिखने में कठिनाई होने वाले व्यक्तियों के लिए वचनपत्र

1. मैं (उम्मीदवार का नाम) मुझे (अक्षमता/दिव्यांगता की प्रकृति/स्वरूप) है। मेरा रोल न. है। मैं परीक्षा (परीक्षा का नाम) के लिए परीक्षा केंद्र (केंद्र का नाम, जिले एवं राज्य के पूर्ण विवरण सहित) पर प्रविष्ट हो रहा हूँ।

मेरी शैक्षणिक अर्हता है।

2. मैं एतद्वारा उल्लेख करता हूँ कि स्क्राइब (स्क्राइब का नाम)..... उक्त परीक्षा के लिए अधोहस्ताक्षरी को स्क्राइब कि सेवा प्रदान करेगा/करेगी।
3. मैं एतद्वारा वचन करता हूँ कि स्क्राइब कि शैक्षणिक अर्हता/योग्यता है। बाद मैं यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा घोषित शैक्षणिक अर्हता/योग्यता गलत है और मेरी शैक्षणिक अर्हता/योग्यता से एक स्तर ऊपर है तो मैं मैं पद या प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री और उससे संबंधित दावों पर अपना अधिकार खो दूंगा।

(उम्मीदवार का हस्ताक्षर)

(यदि उम्मीदवार अल्पवयस्क है तो माता-पिता/अभिभावक द्वारा प्रति हस्ताक्षर)

स्थान:

दिनांक: